

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 जनवरी 2011—पौष 23, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2010

क्र. एफ-19-59-2010-1-चार.—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का निम्नानुसार गठन करता है:—

(1)	डॉ. हर्ष वर्धन तिवारी पूर्व कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	सभापति (चेयरपर्सन)
(2)	सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग	सदस्य
(3)	सदस्य वित्त, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	सदस्य
(4)	संचालक चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
(5)	संचालक, तकनीकी शिक्षा	सदस्य

2. यह समिति उपरोक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य करेगी, व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया का पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन करेगी और प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस का निर्धारण करेगी.

3. समिति का कार्यकाल दिनांक 30 जून 2013 तक होगा.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप खरे, सचिव.